छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 802/2007*</u>

1. **श्री राजेश कुमार अग्रवाल,** - *अपीलार्थी*
   ग्राम- धुर्राबांधा, पोस्ट-खिजराडीह,
   तहसील-भाटापारा,
   जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सरपंच,* - *प्रति अपीलार्थी*
   ग्राम- धुर्राबांधा, पोस्ट-खिजराडीह,
   तहसील-भाटापारा,
   जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 28 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 29.04.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समक्ष दिनांक 04.06.2007 को प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी नियत समयावधि में अपील का निराकरण नही करने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.08.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब के लिए सचिव तथा सरपंच को पांच हजार रूपये प्रत्येक को शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 01.02.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि जानकारी तैयार कर दिनांक 26.05.2007 को शुल्क की राशि 3950/- रूपये जमा कराने उनके घर सचिव और सरपंच गये थे और वे नही मिलने पर उनके छोटे भाई को तामिल की गई तथा पुनः दिनांक 28.05.2007 को रजिस्ट्री डाक से पत्र भेजा गया और पत्र वापस किया गया और बाद में अपीलीय अधिकारी द्वारा राशि जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, किन्तु उन्होंने राशि जमा नही की और पोस्ट मास्टर द्वारा जो पत्र लिखकर दिया है वह आवेदक के दबाव पर लिखकर दिया है, अतः उनके विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही नही की जावे । आवेदक ने बताया कि प्रथम अपील में मुख्य

कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पत्र दिनांक 02.08.2007 में संलग्न प्रपत्र का उल्लेख तो बताया है, किन्तु प्रपत्र संलग्न नही है । जहाँ तक संलग्न प्रपत्र नही मिलने की बात है, उसे पंचायत कार्यालय से वह पत्र प्राप्त करना चाहिए था और शुल्क जमा करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया और आवेदन में जो पता दिया गया था, उस पते पर पत्र भेजा गया और पोस्ट मास्टर पर दबाव डाला गया कि सचिव के द्वारा पत्र वापस ले लिया गया है । आवेदक को जानकारी प्राप्त करने में रूचि थी तो शुल्क जमा कराकर जानकारी प्राप्त करना चाहिए था, अतः उपरोक्त स्थिति में शास्ति आरोपित करने का तथ्य प्रतीत नही होता है, अतः जारी दोनो कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । आयोग द्वारा पूर्व में ही यह आदेश दिये जा चुके हैं कि जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे और सुनवाई के समय सचिव, ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12-02-2008 को एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसे इस आदेश के पालन में जानकारी तो दी है किन्तु अपूर्ण दी है, किन्तु अपूर्णता उसने स्पष्ट नहीं की है न ही कोई आवेदन के साथ प्रमाण लगाया है, बल्कि केवल जुर्माने व मुआवजे की माँग की है। अतः उसका यह आवेदन आधारहीन तथा केवल सरपंच या सचिव पर जुर्माना की कार्रवाई कराने का प्रयास ही प्रतीत होता है। अतः इस पर जुर्माने या मुआवजे की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यह निर्देश अवश्य दिये जाते हैं कि यदि अपूर्ण जानकारी दी गई है तो अब शेष जानकारी एक सप्ताह में निःशुल्क प्रदान की जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त